भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5268
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

जनजातीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा

5268. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में कितने नए आईटी पार्क, स्टार्टअप हब और डिजिटल अवसंरचना परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और इस संबंध में जिला-वार, विशेषकर औरंगाबाद जिले में कितनी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार जनजातीय युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष पहल कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट संपर्क और साइबर सुरक्षा को सुदृढ करने के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारतसरकारके "मेकइनइंडिया" और "डिजिटलइंडिया" कार्यक्रमोंकेतहतदेशमेंघरेलूइलेक्ट्रॉनिकीहार्डवेयरविनिर्माणऔरसूचनाप्रौद्योगिकीकोबढ़ावादेनेकेलिएभारतसरकारकीअनेकयोजनाएंहैं।
जनजातीयक्षेत्रोंसहितदेशमेंघरेलूइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणऔरसूचनाप्रौद्योगिकीकेसंवर्धनकेलिएसरकारद्वाराउठाएगए कदम**अनुबंध-1**और**2 मेंदिएगएहैं**। भारतीयसॉफ्टवेयरप्रौद्योगिकीपार्क (एसटीपीआई) नेबिहारराज्यमेंभागलपुरऔरपटनाजिलोंमेंदो (2) केन्द्रस्थापितकिएहैं। इसकेअतिरिक्त, भारतसरकारनेदरभंगामेंएकनयाएसटीपीआईकेंद्रस्थापितकरनेकाअनुमोदनदियाहै।

सरकारकीयोजनाओंऔरकार्यक्रमोंसेसूचनाप्रौद्योगिकीउद्योगमेंरोजगारअवसरोंकासृजनहुआहै।
राष्ट्रीयसॉफ्टवेयरतथासेवाकम्पनीसंघ (नैसकॉम) केअनुसारवर्तमानमेंभारतीयसूचनाप्रौद्योगिकीउद्योगने 5.8 मिलियनव्यक्तियोंकोप्रत्यक्षरोजगारकेअवसरप्रदानकिएहैं। कौशलविकासकेलिए, 477 एकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालयों (ईएमआरएस) केमाध्यमसे, जनजातीयकार्यमंत्रालय द्वाराडिजिटलबोर्डोंसेयुक्तस्मार्टकक्षाओंकोलागूकिया जारहाहै और ये स्मार्ट कक्षाएंआदिवासीस्कूलोंमेंडिजिटलशिक्षा का विस्तार करनेकेलिएइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय

(एमईआईटीवाई) कीएकस्वायत्तसंस्था, एजुकेशनएंडरिसर्चनेटवर्कऑफइंडिया (ई.आर.नेटइंडिया) कीसाझेदारीमेंस्थापितकिएजा रहे हैं।

डिजिटलइंडियाकार्यक्रमकेतहत चलाए जा रहेजनताकेलिएआईटीकार्यक्रमकाउद्देश्यमहिलाओं, अनुसूचितजाति (एससी), अनुसूचितजनजाति (एसटी), वरिष्ठनागरिकों, दिव्यांगव्यक्तियोंऔरआर्थिकरूपसेकमजोरवर्गों (ईडब्ल्यूएस) पर केन्द्रित जन समूहों केलिएआईसीटीसेसंबंधितगतिविधियोंकोबढ़ावादेनाऔरउन्हें शुरूकरनाहै। इसकार्यक्रमकेतहत, कुल 60,170 जनजातीयउम्मीदवारलाभान्वितहुएहैं। राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसंस्थान (इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयकेप्रशासनिकनियंत्रणाधीनएकस्वायत्तवैज्ञानिकसंस्था) अनुसूचितजातियोंकेलिएअनुसूचितजातिउपयोजना (एससीएसपी) औरअनुसूचितजनजातियोंकेलिएजनजातीयउपयोजना (टीएसपी) निष्पादितकररहाहैऔरविभिन्नकौशलविकासप्रशिक्षणऔरऔपचारिकप्रशिक्षणपाठ्यक्रमोंमेंअपनेस्वयंकेकेन्द्रोंके माध्यमसेअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजातिकेअभ्यथयोंकोनिशुल्कप्रशिक्षणप्रदानकररहाहै। इसकार्यक्रमकेतहत, कुल 2,31,161 जनजातीयउम्मीदवारलाभान्वितहुएहैं।

इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयकीएकपहलकेतहतसामान्यसेवाकेन्द्र (सीएससी) स्थापितकिएगएहैं। सीएससी ई-गवर्नेंससर्विसेजइंडियालिमिटेडकार्यान्वयनएजेंसीहै। सीएससीपहलकाउद्देश्यसीएससीकेमाध्यमसेग्रामीणनागरिकोंको ई-सेवाएंप्रदानकरनाऔरग्रामपंचायतस्तरतकसीएससीनेटवर्ककाविस्तारकरनाहै। सीएससीकेमाध्यमसे 800 सेअधिकसेवाएंप्रदानकीजारहीहैं, जिनमेंसरकारीसेवाएं, वित्तीयसेवाएंऔरआधारसेजुड़ीसेवाएं, विभिन्नसामाजिककल्याणयोजनाएं, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्राबुकिंग, उपयोगिताभुगतानशामिलहैं। यहएकअखिलभारतीयपरियोजनाहैऔरयहपरियोजना किसीराज्ययाक्षेत्र विशेषकेलिएनहींहै। सीएससीएसपीवीनेअवगतकरायाहैकिजनवरी 2025 तक, देशभरमें 5,97,441 सीएससी (ग्रामीण+शहरी) कार्यरतहैं, जिनमेंसे 4,73,357 सीएससीग्रामपंचायत (ग्रामीण) स्तरपरकार्यरतहैं। पूरे देश मेंबिहारराज्यमें 56,556 सीएससी (ग्रामीण+शहरी) कार्यकररहेहैं, जिनमेंसे 50,383 सीएससीग्रामपंचायत (ग्रामीण) स्तरपरकार्यरतहैं।

****

<u>अनुबंध- I</u>

इलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रमेंउठाएगएकदम

1. **योजनाऔरकार्यक्रम**

1.1**सेमीकंडक्टर्सऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगइकोसिस्टमकेविकासकेलिएसंशोधितकार्यक्रम**:
इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकोव्यापकऔरगहन बनानेकेलिए, केंद्रीयमंत्रिमंडलने 15.12.2021 कोसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगईकोसिस्टमकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपयेकेपरिव्ययकेसाथएकव्यापककार्यक्रमकोमंजूरीदी थी। मंत्रिमंडलकीमंजूरीसेइसकार्यक्रमकोहालहीमें 21.09.2022 कोसंशोधितकियागयाहै। संशोधितकार्यक्रमप्रौद्योगिकीनोड्समेंसेमीकंडक्टरफैब्सकेसाथ-साथयौगिकअर्धचालक, पैकेजिंगऔरअन्यसेमीकंडक्टरसुविधाओंकेलिएसमानरूपसेपरियोजनालागतका 50% राजकोषीयसहायताप्रदानकरताहै।

पात्रआवेदकोंकेलिएअबनिम्नलिखितवित्तीयप्रोत्साहनउपलब्धहैं:

- **सेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: इस योजना के अंतर्गतदेशमेंसेमीकंडक्टरवेफरफैब्रिकेशनसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएराजकोषीयसहायताप्रदानकी जातीहै।

सभीप्रौद्योगिकीनोड्समेंसिलिकॉनआधारितसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएपरियोजनालागतकी 50% राजकोषीयसहायताउपलब्धहै।

- **डिस्प्लेफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: इसमेंटीएफटीएलसीडी/एमोलेडआधारितडिस्प्लेफैब्रिकेशनसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकी जाती है। यहपरियोजनालागतके 50% कीराजकोषीयसहायताप्रदानकरताहै।
- **भारतमेंकंपाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स/सेंसर, फैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैब्सऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: यहभारतमेंकंपाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएससहित), फैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैब्सऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिए पात्रआवेदकोंकोपूंजीगतव्ययका 50% राजकोषीयसहायताप्रदानकरताहै।
- **सेमीकंडक्टरप्रयोगशालाकाआधुनिकीकरण**सरकारनेदक्षताऔरसमयचक्रबढ़ानेकेलिएसेमीकंडक्टरप्रयोगशाला, मोहालीकेआधुनिकीकरणकोभीमंजूरीदेदीहै
- **डिजाइनलिंक्डप्रोत्साहनयोजना**: यहवित्तीयप्रोत्साहन, विकासकेविभिन्नचरणोंमेंडिजाइनबुनियादीढांचेकासहायताऔरआईसी, चिपसेट, एसओसी, सिस्टमऔरआईपीकोरऔरसेमीकंडक्टरलिंक्डडिजाइनकेलिएसेमीकंडक्टरडिजाइनकीसुविधाप्रदानकरताहै। यहयोजना "उत्पादडिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन" और "तैनातीलिंक्डप्रोत्साहन" दोनोंप्रदानकरतीहै।

1.2 **बड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेलिएउत्पादनलिंक्डप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई)** इस योजनाको 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा, ताकिमोबाइलफोननिर्माणऔरअसेंबली, परीक्षण, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयोंसहितनिर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकघटकोंकेनिर्माणमेंशामिलवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षकीतुलनामें) परपात्रकंपनियोंको 3% से 6% काप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके।

1.3 **आईटीहार्डवेयरकेलिएप्रोडक्शनलिंक्डइंसेंटिव (पीएलआई) योजना**, 3 मार्च, 2021 कोअधिसूचितकीगई, चारसालकेलिएलैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसीऔरसर्वरकीशुद्धवृद्धिशीलबिक्रीपर 4% से 2%/1% प्रोत्साहनप्रदानकरतीहै। आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0, 29 मई, 2023 कोअधिसूचित, छहसालकेलिएलैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसी, सर्वरऔरअल्ट्रास्मॉलफॉर्मफैक्टरउपकरणोंकीशुद्धवृद्धिशीलबिक्रीपरऔसतन 5% प्रोत्साहनप्रदानकरतीहै।

1.4 **इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरअर्धचालकोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस)**को 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा, जिसमेंइलेक्ट्रॉनिकसामानोंकीपहचानकीगईसूचीकेलिएपूंजीगतव्ययपर 25% कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियागयाथा, जिसमेंइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकीडाउनस्ट्रीममूल्यश्रृंखला, यानीइलेक्ट्रॉनिकघटक, अर्धचालक/प्रदर्शननिर्माणइकाइयां, एटीएमपीइकाइयां, विशेषउप-असेंबलीऔरपूंजीगतसामानशामिलहैं।

1.5 **संशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना**को 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा, ताकिदेशमेंइकाइयांस्थापितकरनेकेलिएउनकीआपूर्तिश्रृंखलाकेसाथ-साथप्रमुखवैश्विकइलेक्ट्रॉनिकीनिर्माताओंकोआकर्षितकरनेकेलिएतैयारनिर्मितकारखाना (आरबीएफ) शेड/प्लगएंडप्लेसुविधाओंसहितसामान्यसुविधाओंऔरसुविधाओंकेसाथ-साथविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकीजासके। यहयोजनापूरेदेशमेंईएमसीपरियोजनाओंऔरसामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) दोनोंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।

1.6 **संशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेजयोजना (एम-एसआईपीएस):** इसयोजनाको 27 जुलाई, 2012 कोअधिसूचितकियागयाथाताकिविकलांगताकोदूरकरनेऔरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्षेत्रमेंनिवेशआकर्षितकरनेकेलिएवित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके। योजनाकीअवधिबढ़ाने, 15 औरउत्पादवर्टिकलकोशामिलकरकेयोजनाकेदायरेकोबढ़ानेऔरअधिकनिवेशआकर्षितकरनेकेलिए

अगस्त, 2015 मेंइसमेंसंशोधनकियागयाथा। निवेशमेंतेजीलानेकेलिएजनवरी, 2017 मेंइसयोजनामेंऔरसंशोधनकियागयाथा। यहयोजनापूंजीगतव्ययकेलिएसब्सिडीप्रदानकरतीहै - विशेषआर्थिकक्षेत्रों (एसईजेड) मेंनिवेशकेलिए 20% औरगैर-एसईजेडमें 25%। प्रोत्साहनइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकी 44 श्रेणियों / ऊर्ध्वाधरऔरघटकोंकेलिएउपलब्धहैंजोसंपूर्णइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणमूल्यश्रृंखलाकोकवरकरतेहैं। यहयोजना 31.12.2018 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीथीऔरकार्यान्वयनमोडमेंहै।

1.7 **इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी) योजना**इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर्सयोजना 22 अक्टूबर, 2012 कोअधिसूचितकीगईथीताकिनिवेशआकर्षितकरनेकेलिएसामान् य सुविधाओंऔरसुविधाओंकेसाथ-साथविश् व स्तरीयअवसंरचनाकेसृजनकेलिएसहायताप्रदानकीजासके।

2. **अन्यपहलें**

2.1**इलेक्ट्रॉनिकीविकासकोष (ईडीएफ):** इलेक्ट्रॉनिक्सविकासकोष (ईडीएफ) कोपेशेवररूपसेप्रबंधित "डॉटरफंड्स" मेंभागलेनेकेलिए "फंडऑफफंड्स" केरूपमेंस्थापितकियागयाहैजोबदलेमेंइलेक्ट्रॉनिक्सऔरसूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) केक्षेत्रमेंनईतकनीकोंकाविकासकरनेवालेस्टार्टअप्सऔरकंपनियोंकोजोखिमपूंजीप्रदानकरेगा।

2.2**100% प्रत्यक्षविदेशीनिवेश** (एफडीआई) नीतिकेअनुसार, लागूकानूनों/विनियमों, सुरक्षातथाअन्यशर्तोंकेअध्यधीनइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माण (भारतकेसाथभू-सीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोछोड़कर) केलिएस्वचालितमार्गकेअंतर्गत 100% तकएफडीआईकीअनुमतिहै।

2.3 टैरिफसंरचनाकायुक्तिकरणसेल्युलरमोबाइलफोनों, टेलीविजनों, इलेक्ट्रॉनिकसंघटकों, टीवीकेलिएसेटटॉपबॉक्सों, एलईडीउत्पादोंऔरचिकित्साइलेक्ट्रॉनिकीउपकरणसहितइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेघरेलूविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएटैरिफसंरचनाकोयुक्तिसंगतबनायागयाहै।

2.4 **पूंजीगतवस्तुओंपरमूलसीमाशुल्कसेछूट**: निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंको "शून्य" मूलसीमाशुल्कपरआयातकरनेकीअनुमतिहै।

2.5 **इस्तेमालकिएगएसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात**: इलेक्ट्रॉनिक् स विनिर्माणउद्योगद्वाराउपयोगकेलिएकमसेकम 5 वर्षकीअवशेषीयअवधिवालेइस्तेमालसंयंत्रऔरमशीनरीकेआयातकोपर्यावरण, वनएवंजलवायुपरिवर्तनमंत्रालयकीदिनांक 11.06.2018 कीअधिसूचनाकेतहतखतरनाकऔरअन् य अपशिष् ट (प्रबंधनएवंसीमापारआवाजाही) नियम, 2016 मेंसंशोधनकेमाध्यमसेसरलबनायागयाहै।

2.6 **वृद्धावस्थाप्रतिबंधोंमेंढील**देना: राजस्वविभागनेदिनांक 11.09.2018 कीअधिसूचनासंख्या 60/2018-सीमा शुल्ककेतहतदिनांक 14.11.1995 कीअधिसूचनासंख्या 158/95-सीमा शुल्कमेंसंशोधनकियाहै, जिसकेतहतभारतमेंविनिर्मितऔरमरम्मतयामरम्मतकेलिएभारतमेंपुनःआयातकिएगएनिर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकसामानोंकेलिएपुरानेप्रतिबंधको 3 वर्षसेघटाकर 7 वर्षकरदियागयाहै।

2.7 **सार्वजनिकखरीद (मेकइनइंडियाकोवरीयता) आदेश 2017**: सार्वजनिकखरीदमेंघरेलूनिर्मितउत्पादोंकोप्राथमिकतादेनेकेलिएसार्वजनिकखरीदआदेशअधिसूचित कियागयाहैताकिस्थानीयमूल्यसंवर्धनमेंउत्तरोत्तरवृद्धिकरकेघरेलूउद्योगक्षमताओंकोबढ़ायाजासके, जोआत्मनिर्भरताकेव्यापकलक्ष्यमेंयोगदानदेताहै।

2.8 **अनिवार्यपंजीकरणआदेश (सीआरओ):** एमईआईटीवाईनेभारतमेंघटियाऔरअसुरक्षितइलेक्ट्रॉनिकसामानोंकेआयातकोरोककरभारतीयनागरिकोंकीसुरक्षासुनिश्चितकरनेकेलिएअनिवार्यअनुपालनकेलिए "इलेक्ट्रॉनिक्सऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसामान (अनिवार्यपंजीकरणकीआवश्यकता) आदेश, 2012" कोअधिसूचितकियाहै। बीआईएसअधिनियम, 2016 केप्रावधानोंकेअनुसारआदेशको

"इलेक्ट्रॉनिक्सऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसामान (अनिवार्यपंजीकरणकीआवश्यकता) आदेश, 2021" केरूपमेंपुनःअधिसूचितकियागयाहै।

******

\अनुबंध- II

देशभरमेंसूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटीसक्षमसेवा (आईटीईएस) उद्योगकोबढ़ावादेनेसे संबंधितयोजनाओंकाविवरण:-

i. देशमेंसॉफ्टवेयरउत्पादपारिस्थितिकीतंत्रकोबढ़ावादेनेकेलिएसरकारद्वारासॉफ्टवेयरउत्पादोंसे संबंधित राष्ट्रीयनीति (एनपीएसपी), - 2019 अधिसूचितकीगईहै। एनपीएसपीकेअनुसार, सरकारनेपटना,बिहारमेंएकइनक्यूबेशनसुविधासहितछोटेशहरोंमेंस्थित 12 एसटीपीआईकेंद्रोंमेंतकनीकीस्टार्टअपोंकोइनक्यूबेशनसुविधाएंउपलब्ध करानेकेलिए 95.03 करोड़रुपयेकेबजटीयपरिव्ययकेसाथअगलीपीढ़ीइनक्यूबेशनयोजना (एनजीआईएस) कोमंजूरीदीथी।

ii. एसटीपीआईआईटी/आईटीईएस/ईएसडीएमउद्योगकेसंवर्धनकेलिएसॉफ्टवेयरप्रौद्योगिकीपार्क (एसटीपी) योजनाऔरइलेक्ट्रॉनिकीहार्डवेयरप्रौद्योगिकीपार्क (ईएचटीपी) योजना कोकार्यान्वितकररहाहै। आईटी/आईटीईएसउद्योगकीअभूतपूर्वसफलता, अन्यबातोंकेसाथ-साथ, एसटीपीयोजनाद्वारानिभाईगईमहत्वपूर्णभूमिकाकेकारणसंभवहुईहै। एसटीपीयोजनाएकअनूठीयोजनाहै, जिसेसॉफ्टवेयरउद्योगकोबढ़ावादेनेऔरबिनाकिसीस्थानीयबाधाओंकेस्टार्ट-अपऔरएसएमईकेविकासकेलिएडिज़ाइनकियागयाहै।

iii. भारतसरकारनेडिजिटलइंडियाकार्यक्रमकेतहतभारतबीपीओसंवर्धनयोजना (आईबीपीएस) औरपूर्वोत्तरबीपीओप्रोत्साहनयोजना (एनईबीपीएस) भीशुरूकीथी, जिसकाउद्देश्यबीपीओ / आईटीईएससंचालनकीस्थापनाकोप्रोत्साहितकरकेछोटेशहरों / कस्बोंमेंरोजगारकेअवसरपैदाकरनाऔरआईटी / आईटीईएसउद्योगकाविस्तारकरनाथा। नईबोलियांआमंत्रितकरनेकेलिएआईबीपीएसऔरएनईबीपीएसकीअवधिक्रमशः 31.03.2019 तकथी। तथापिसंवितरणको इसअवधिसेआगेभीजारीरखा जा सकताहै। इनयोजनाओंकेतहत 246 इकाइयोंनेदेशके 27 राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंमेंबीपीओ/आईटीईएसप्रचालनस्थापितकिएहैंऔर 53,325 व्यक्तियोंकोप्रत्यक्षरोजगारप्रदानकियाहै।

iv. भारतसरकारनेएक ऐसे एक्सीलेटर कार्यक्रम, जिससे कि सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और जो भारत की चुनौतियों के समाधानों को व्यापक बनाता है, की आवश्यता को ध्यान में रखते हुए उत्पाद,नवाचार,विकास और प्रगति (समृद्ध) कार्यक्रमकेलिएएमईआईटीवाईकेअपनेस्टार्टअपएक्सेलेरेटरकेमाध्यमसेनवाचारकोप्रोत्साहित करने और स्टार्टअपों की सहायता करने के लिए एक व्यापक पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअपों को त्वरण सेवाओं के साथ-साथ उन्हें वन-टू-वन मैचिंग फंडिंग सहायता के लिए चयनित एक्सीलेटरों को मदद उपलब्ध कराना है।

v. भारत सरकार ने छोटे शहरों में स्थापित स्टार्टअपों का पता लगाने, उनकी सहायता करने, उनका विकास करने तथा उन्हें सफल स्टार्टअप के रूप में स्थापित करने के लिए और रोजगार व आर्थिक आउटपुट की प्रगति सुनिश्चित करने के क्रम में समावेशिता, पहुँच और सामर्थ्य के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटलीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअपों, सरकार और कार्पोरेट जगत के बीच

सहयोगात्मक जुड़ाव पर जोर देने के लिए जेनेसिस (जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स)की घोषणा की है।

****